जवाब दो!!! सरकार
www.jawabdosarkar.com
देश का पहला जवाबदेही पोर्टल

देश के लिए... अव्यवस्था के खिलाफ... ™

JAWAB DO SARKAR

www.jawabdosarkar.com

रेफरेंस संख्या –2020/mmp/29 | E-Newsletter, Issued in Public Interest | शनिवार, 24 अक्तूबर 2020

विशेष रिपोर्ट

भाग-4

अवैध रूप से बस रही कॉलोनियों का ध्वस्तीकरण

कृषि भूमि के बस रही अवैध कॉलोनियों पर जेडीए की सख्ती

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
patrika.com

[illegible] हर के बाहरी इलाकों में [illegible] कृषि भूमि में बस रही [illegible] जेडीए सख्त कार्रवाई [illegible] भूमि का बिना नियमन [illegible] उपयोग करने पर जेडीए [illegible] दार के खिलाफ [illegible] एक्ट की धारा 17 [illegible] रेगा। [illegible] अवैध [illegible] करण [illegible] र चुका [illegible] को मंथन सभागार में हुई [illegible] डीसी गौरव गोयल ने प्रवर्तन शाखा के अधिकारियों [illegible] दिए। बैठक [illegible] भी [illegible] 15.1[illegible] लाख रुपए [illegible] तक वसूल किया गया है।

[illegible] अवैध [illegible]

1. प्रथम श्रेणी: सरकारी भूमि प[illegible] अतिक्रमण के विरुद्ध जीरो टोलरेंस के साथ कार्रवाई होगी।
2. द्वितीय श्रेणी: [illegible] सायिक [illegible] लेक्स [illegible] चाहिए [illegible]
3. [illegible] श्रेणी: [illegible] आवासी [illegible] नियम विरुद्ध निर्माण करने वालों से अवैध निर्माण नहीं करने के लिए समझाइश की जाए।

ये नया काम

- जमीन अतिक्रमण से मुक्त कराने के बाद भूमि पर तारब[illegible] गी। [illegible] को [illegible] पारद [illegible] के लिए [illegible] एना [illegible] किया [illegible]

अब तक [illegible] सर्वाधिक

- एक वर्ष में प्रवर्तन शा[illegible] 1091 ध्वस्तीकरण की कार्रवाई [illegible]
- [illegible] में 120 [illegible] भूमि को [illegible] क्रमण [illegible] करवाया।
- सितम्बर से अब तक 144 बीघा पर 21 अवैध कॉलोनियों को ध्वस्त किया जा चुका।

जयपुर, मंगलवार 20 अक्टूबर, 2020

सात बीघा भूमि पर अवैध कॉलोनी बसाने का प्रयास किया विफल

जयपुर | जेडीए प्रवर्तन दस्ते ने सोम[illegible] को अजमेर रोड के पास [illegible] में [illegible] बीघा [illegible] भूमि [illegible] प्रयास को [illegible] सैनी [illegible] मुख्य [illegible] कलवाड़ा के खसरा [illegible] 1224, 1226 में करीब 7 बीघा भूमि पर बृज विहार के नाम से अवैध कॉलो[illegible] लिए [illegible] सड़कें [illegible] अवैध [illegible] पर [illegible] स्टॉफ [illegible] मज [illegible] स्त किया। कार्यवाही प्रवर्तन अ[illegible] 11, 14 स्थानीय पुलिस थाना सेज का जाप्ता व प्राधिकरण में उपलब्ध जाप्ते, लेबर गार्ड, जोन में पदस्थापित राजस्व स्टॉफ की निशादेही पर प्रवर्तन दस्ते द्वारा की गई। उल्लेखनीय है कि जेडीए की ओर से लगातार अतिक्रमणों पर कार्रवाई जारी है।

कृषि भूमि पर हो रहे अवैध निर्माणों को हटाने में जे.डी.ए. प्रवर्तन का दोहरा रवैया

कृषि भूमि पर चल रही अंग्रेजी शराब और बिल्डिंग मेटेरियल,वाटर सप्लायर की दूकान!!!

कृषि भूमि पर स्थित बोरिंग के पानी को बेचकर अपनी जेबें भर रहा अवैधनिर्माणकर्ता!!

जे.डी.ए.ज़ोन 5 के अधिकारी दो साल से मामले को दबा कर बैठे!!!

जे.डी.ए. ज़ोन-5 स्थित गुर्जर की थडी पर संचालित अंग्रेजी शराब की दूकान और अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ

*भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत प्रकाशन एवं समस्त प्रकाशन IT Act 2000 के तहत उत्तरदायी
सर्वाधिकार@www.jawabdosarkar.com

कृषि भूमि पर हो बसी कोलोनियों पर जे.डी.ए. सख्त परन्तु कृषि भूमि पर बिना अनुमति व्यवसायिक गतिविधियों पर दो साल से मौन!!!जे.डी.ए. ज़ोन-5 का है मामला

कहने को तो एक तरफ जे.डी.ए. प्रवर्तन का अमला कृषि भूमि पर बसी कोलोनियों को ध्वस्त करने में चाक चौबंद नजर आ रहा है परन्तु दूसरी और ऐसी कृषि भूमि पर बिना अनुमति संचालित व्यवसायिक गतिविधियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं कर मूक दर्शक बना हुआ है| यह मामला जे.डी.ए. के ज़ोन-5 का है जिसमे आने वाले देवरी ग्राम के खसरा संख्या 318 एवं 320 की कृषि भूमि पर नियम विरुद्ध संचालित शराब बिल्डिंग मेटेरियल और वाटर सप्लाई की दुकानों की शिकायत जे.डी.ए. के अधिकारियों,जिला कलेक्टर से लेकर मुख्यमंत्री तक कई बार की गयी परन्तु ढाक के तीन पात;आज तक यह दुकाने रसूखदारों के रसूख का सिक्का कायम रखते हुए,जयपुरवासियों को खुलेआम मुंह चिड़ा रही है|इस कृषि भूमि पर स्थित अंग्रेजी शराब की दूकान को जे.डी.ए. 4 साल में दो बार धारा 32 के नोटिस दे चूका है|परन्तु इसके बावजूद आज दिनांक तक जे.डी.ए. अधिकारियों द्वारा कोई पुख्ता कार्यवाही नहीं की जा रही है|

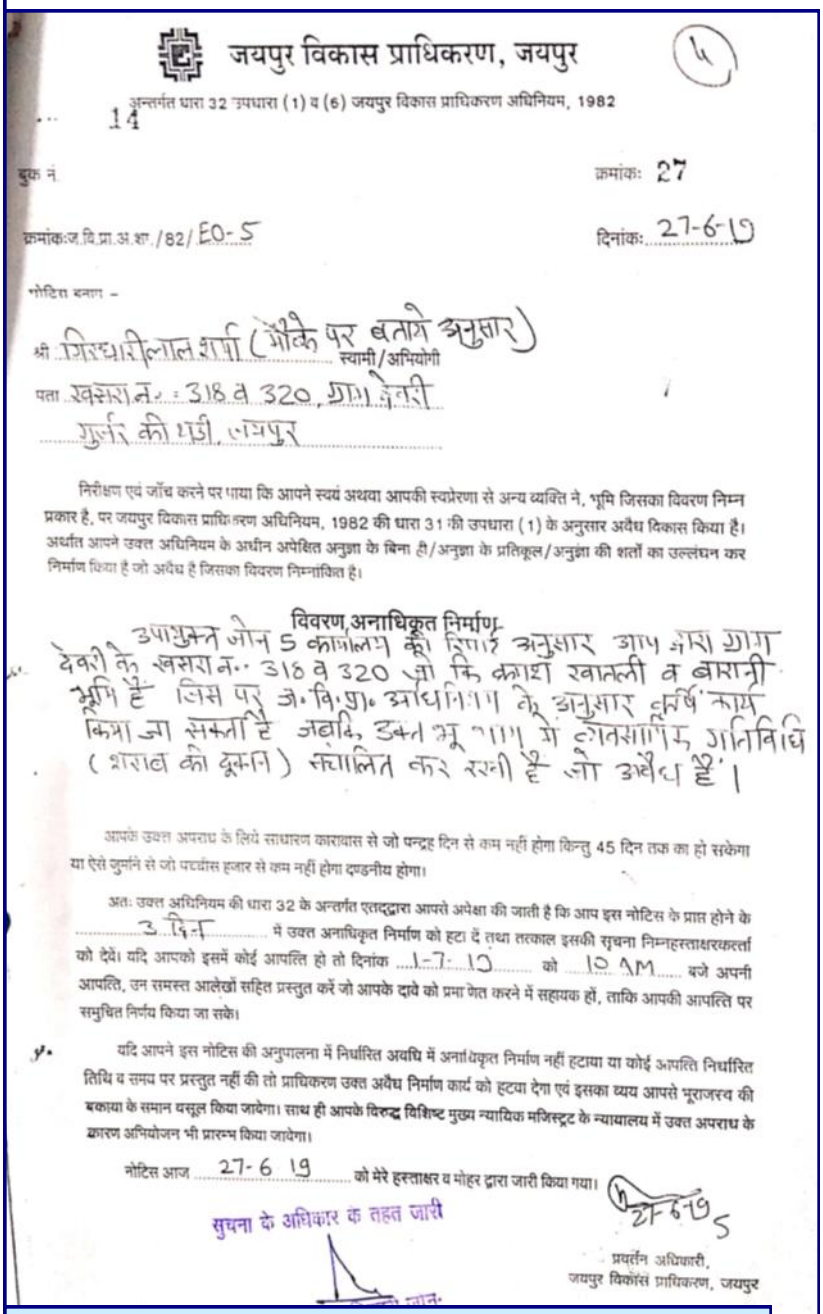

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

(5)

अन्तर्गत धारा 32 उपधारा (1) व (6) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982

14

बुक नं. क्रमांकः 27

क्रमांकःज.वि.प्रा.अ.श./82/ E0-5 दिनांकः 27-6-19

नोटिस बनाम -

श्री गिरधारीलाल शर्मा (मौके पर बताये अनुसार) स्वामी/अभियोगी

पता खसरा नं. 318 व 320, ग्राम देवरी गुर्जर की थड़ी, जयपुर

निरीक्षण एवं जॉंच करने पर पाया कि आपने स्वयं अथवा आपकी स्वप्रेरणा से अन्य व्यक्ति ने, भूमि जिसका विवरण निम्न प्रकार है, पर जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 की धारा 31 की उपधारा (1) के अनुसार अवैध विकास किया है। अर्थात आपने उक्त अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना ही/अनुज्ञा के प्रतिकूल/अनुज्ञा की शर्तों का उल्लंघन कर निर्माण किया है जो अवैध है जिसका विवरण निम्नांकित है।

विवरण,अनाधिकृत निर्माण

उपायुक्त जोन 5 कार्यालय की रिपोर्ट अनुसार आप द्वारा ग्राम देवरी के खसरा नं. 318 व 320 जो कि क्राश्त खातली व बारानी भूमि है जिस पर ज.वि.प्रा. अधिनियम के अनुसार कृषि कार्य किया जा सकता है जबकि उक्त भू भाग में व्यवसायिक गतिविधि (शराब की दुकान) संचालित कर रखी है जो अवैध है।

आपके उक्त अपराध के लिये साधारण कारावास से जो पन्द्रह दिन से कम नहीं होगा किन्तु 45 दिन तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार से कम नहीं होगा दण्डनीय होगा।

अतः उक्त अधिनियम की धारा 32 के अन्तर्गत एतद्द्वारा आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप इस नोटिस के प्राप्त होने के 3 दिन में उक्त अनाधिकृत निर्माण को हटा दें तथा तत्काल इसकी सूचना निम्नहस्ताक्षरकर्ता को देवें। यदि आपको इसमें कोई आपत्ति हो तो दिनांक 1-7-19 को 10 AM बजे अपनी आपत्ति, उन समस्त आलेखों सहित प्रस्तुत करें जो आपके दावे को प्रमाणित करने में सहायक हों, ताकि आपकी आपत्ति पर समुचित निर्णय किया जा सके।

यदि आपने इस नोटिस की अनुपालना में निर्धारित अवधि में अनाधिकृत निर्माण नहीं हटाया या कोई आपत्ति निर्धारित तिथि व समय पर प्रस्तुत नहीं की तो प्राधिकरण उक्त अवैध निर्माण कार्य को हटवा देगा एवं इसका व्यय आपसे भूराजस्व की बकाया के समान वसूल किया जावेगा। साथ ही आपके विरुद्ध विशिष्ट मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय में उक्त अपराध के कारण अभियोजन भी प्रारम्भ किया जावेगा।

नोटिस आज 27-6-19 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

सुचना के अधिकार के तहत जारी

27-6-19

प्रवर्तन अधिकारी,
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर

जे.डी.ए. द्वारा दिया गया नोटिस

अवैध रूप से बेच रहा पानी

अब चूँकि यह कृषि भूमि है अतः इसके बोरिंग का पानी केवल कृषि उपयोग में ही आना चाहिए परन्तु इसके बावजूद इस अवैध निर्माणकर्ता ने पानी बेचने का धंधा बना लिया है|जबकि डार्क ज़ोन में अवैध रूप जल का दोहन कर बेचना कानूनन अपराध है|

जे.डी.ए. के जिम्मेदार अधिकारी

सम्बंबिधित प्रवर्तन अधिकारी

श्री अशोक सैनी

मुख्य प्रवर्तन नियंत्रक

श्री रघुवीर सैनी

पुलिस अधीक्षक

श्री मामन सिंह

जे.डी.ए. आयुक्त

श्री गौरव गोयल